Annexure-I
Form-I
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No...03..... Dated..21/3/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2003 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of non linear projects, it is certified that 2.00 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Govt, Polytechnic Chopta, Rudraprayag/Technical Education for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta, in Rudraprayag District falls within jurisdiction of Kunda Dankot village in Rudraprayag Tehsil. It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3
(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3, (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
(c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

Annexure-II
Form-II
(For Non linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No..03..... Dated.21/03/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No. 119/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA" for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.00 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Govt, Polytechnic Chopta, Rudraprayag for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag District falls within jurisdiction of Kunda Dankot village in Rudraprayag Tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.00 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure-23 to annexure-23.3

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kunda Dankot(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.2.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Manuj Goyal I.A.S. deputy commissioner, Rudraprayag on dated 02.03.2022 at time 11:00 AM at Rudraprayag in which application claiming rights in 20000 Sq. Meter/area measuring 2.00 hectares for the Construction of Govt. Polytechnic Chopta Building. Forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Augustyamuni (Kunda Dankot village) sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place...Rudraprayag.....

Dated..02/03/2022.....

Deputy Commissioner cum Chairman
District Level Committee

प्रपत्र– 23.3

परियोजना का नामः– जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00हे0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00हे0 भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव परियोजना के निर्माण हेतु 2.00हे0 वन भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अगस्त्यमुनि तथा संबन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है । वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसुचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है ।

जिलाधिकारी
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

नोट :– उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा ।

सडक निर्माण, नहर निर्माण,पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल, पाईपलाईन बिछाने आदि परियोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है । उक्त प्रकरणों में प्रमाण–पत्र संख्या 23, 23.1, 23.2 व 23.3 प्रस्ताव के साथ संलग्न नही किये जाने है। उक्त प्रयोजनों हेतु तैयार किये गये वन भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों के साथ जिलाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संख्या 23.4 संलग्न किया जायेगा ।

क्र० सं०	दिनांक	याचक विभाग	हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि
03.	21/03/2022.	पॉलीटेक्निक चोपता, तकनीकी शिक्षा विभाग	राजकीय पॉलीटेक्निक, चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है० वन भूमि का हस्तांतरण विषयक,

Sona
DATE
PAGE No.

प्रस्तावित योजना के संबंध में आज दि० - 02-03-2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी एवं जिला स्तरीय समिति की अध्यक्षता में आहूत की गयी, तथा समिति के सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया, प्रस्तावित परियोजना वनाधिकार अधिनियम - 2006 से आच्छादित नहीं है।

अतः समिति के सदस्यों द्वारा निर्णय उपरान्त उक्त योजना पर कार्य किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

1> जिलाधिकारी / अध्यक्ष

जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग

2> प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

3- जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

4> जिला पंचायत सदस्य (सदस्य)

सुनीता बर्त्वाल
सदस्य जिला पंचायत
वार्ड नं0 14 चोपता
जनपद-रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ विद्यान सभा अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे0 सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण –पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अर्न्तगत राजकीय पालीटेक्निक चोपता–रुद्रप्रयाग (x हे0 आरिक्षित वन भूमि, 2.00 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, x हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 02 हे0 सिविल भूमि) का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु ~~अनूसचित~~ (उत्तराखण्ड)/ प्रयोक्ता एजेन्सी की पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक–28/02/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार सिमित की बैठक श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :–

1– श्रीमति अपर्णा ढौंडियाल उपजिलाधिकारी———————————अध्यक्ष

2– श्री यशवंत सिंह चौहान –उप प्रभागीय वनाधिकारी——————— सदस्य

3– श्री धीरज बलोनी ——सहायक समाज कल्याण अधिकारी————— सदस्य / सचिव

4– श्री मति रजनी देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र कुण्डा दानकोट ———————— सदस्य

उप जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग

रजनी देवी क्षेत्र पंचायत वार्ड 18 कुण्डा दानकोट

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया। कि केदरानाथ विद्यानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता की स्थापना परियोजना हेतु 2.00हे0 ~~वन~~ सिविल भूमि राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता (तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यार्वतन की अनुशंसा की गई है ।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी,रुद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नही

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड अगस्त्यमुनि

किया गया है । इस संबंध मे ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी कि जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है ।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता कुण्डा दानकोट परियोजना के निर्माण हेतु 2.00हे0 वन/भूमि (सिविल) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।

दिनांक :- 28/02/2022

राठ उ० निo चोपता

नायब तहसीलदार रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि–: जिलाधिकारी, महोदय रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

दिनांक :- 28/02/2022

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील रुद्रप्रयाग
जनपद रुद्रप्रयाग

राठ इ० नि० चोपता

नायब तहसीलदार रुद्रप्रयाग
जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखण्ड

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम:–जनपद रुद्रप्रयाग के चोपता (कुण्डादानकोट)में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00है0 सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – कुण्डादानकोट

तहसील– रुद्रप्रयाग, जिला– रुद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अर्न्तगत राजकीय पालीटेक्निक परियोजना के निर्माण हेतु (X है0 आरक्षित वन भूमि, 2.00है0 सिविल सोयम भूमि, X है0 वन पंचायत भूमि X है0) अर्थात कुल 2.00है0 सिविल भूमि का राजकीय पालीटेक्निक चोपता तकनीकी शिक्षा विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवदेन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कुण्डादानकोट द्वारा दिनांक 24/02/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ ग्राम पंचयात की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित सिविल भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट द्वारा किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है ।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कुण्डा के ग्रामवासियों को उक्त सिविल भूमि राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है । प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है ।

Rajesh 24/4/22
ह0/– ग्राम पचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र– चोपता
ग्राम सचिव विकास खण्ड– अगस्त्यमुनि
जनपद– रुद्रप्रयाग

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0
दि0 24/03/22
वि0 ख0 अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

नोटः– * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र –23.1

दिनांक 24/02/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत – कुण्डादानकोट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	Ashish Rawat	Ashish
2	परमेन्द्र सिंह रावत	[illegible]
3	सुन्दरलाल	सुन्दरलाल
4	मोहन लाल	[illegible]
5	Surendra Lal	[illegible]
6	पपु लाल	पपु लाल
7	Sudarshan Lal	Lal.
8	दिनेश कुंडियाल	[illegible]
9	रामचन्द्र कोण्डियाल	[illegible]
10	Lalit Mohan	[illegible]
11	योगेश्वर कोण्डियाल	[illegible]
12	वीरेन्द्र कुंडियाल	[illegible]
13	Bhupendra Rawat	[illegible]
14	मनवरसिंह	[illegible]
15	बीना देवी	

पंचायत ग्राम कुण्डा दानकोट
दि0 बीना देवी
ह0 24/2/22
जिला–रूद्रप्रयाग (उत्तराखण्ड)

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत कुण्डा दानकोट
ह0 [illegible]
दि0 24/2/22
रुद्रप्रयाग